

—:आदेश:—

निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्रांक सं० 19012-15 /जे०-109-प्रशा०-विविध कानपुर दिनांक 1307.2022 एवं संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्र सं० 2255-304/संनिपेक्षे/लैंगिक उत्पीड़न-2022 दिनांक 14.07.2022 के अनुपालन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विशाखा केस की गाइडलाइन्स के अनुसार महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुपालन में आन्तरिक परिवार समिति (POSH समिति) का गठन निम्नवत किया जाता है—

1. श्रीमति पूजा रानी व्याख्याता भौतिकी, संस्थागत — पीठासीन अधिकारी
2. श्रीमति शिल्पी अग्रवाल, व्याख्याता कम्प्यूटर संस्थागत — समिति सदस्य
3. श्री सिद्धार्थ जैन, व्याख्याता सिविल अभियंत्रण संस्थागत — समिति सदस्य
भवदीय

(अशोक कुमार)

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक चांगीपुर
नूरपुर बिजनौर

पृ०सं ५७१ / विशाखा केस / (POSH समिति) / 2022-23 दिनांक 16/07/2022
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमति पूजा रानी व्याख्याता भौतिकी, संस्थागत।
2. श्रीमति शिल्पी अग्रवाल, व्याख्याता कम्प्यूटर संस्थागत।
3. श्री सिद्धार्थ जैन, व्याख्याता सिविल अभियंत्रण संस्थागत।

(अशोक कुमार) 16/07/2022

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक चांगीपुर
नूरपुर (बिजनौर)
नूरपुर बिजनौर

1/16